हकियत वाद सं0–462 / 2015

न्यायालय –अवर न्यायाधीश, सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0–462 / 2015.

भिखारी राय एवं अन्य

बनाम्

भगेरन राय एवं अन्य

19.02.2020 आदेश

उभयपक्ष की ओर से हाजरी हैं। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल पतिस्थापना आवेदन आदेश–22 नियम–4 एवं धारा 151 सी0प्र0सं0 दिनांक–02.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का आवेदन में कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0–04 जमादार राय की मृत्यु दिनांक–17.11.2019 को हो गयी थी। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0–4 के वारिसानो को इस वाद में पक्षकार बनाना जरूरी है एवं प्रतिवादी सं0–4 का नाम कलमजद होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–4 जमदार राय का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके निम्नलिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ।

प्रतिवादी सं0–4 कुलेश्वरी देवी जौजे स्व0 जमदार राय

प्रतिवादी सं0–4 (क) राज कुमार राय वल्द स्व0 जमदार राय।

प्रतिवादी सं0––4 (ख) कमलावती देवी जौजे सुनिल कुमार राय।

प्रतिवादी सं0–4 (ग) पुतुल कुमारी पति सुनिल राय पुत्री स्व0 जमादार राय।

वादी की ओर से पुनः एक प्रतिस्थापना आवेदन उक्त तिथी को ही दाखिल कर कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0–6 सुरेश राय की मृत्यु दिनांक–27.03.2019 वो प्रतिवादी सं0–11 सुरेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक–01.05.2019 को हो गया हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0–06 एवं 11 का नाम कलमजद कर इनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित किया जाना जरूरी हैं। अतः प्रतिवादी सं0–06 एवं 11 का नाम वादपत्र से कलमजद कर इनके आवेदन में लिखित वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन का प्रत्युतर दिनांक–20.01.2020 को दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0–4 जमादार राय की मृत्यु दिनांक–17.11.2019 को हो गयी, जिनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु वादी ने दिनांक–02.12.2019 को आवेदन दिया हैं, जो समय सीमा के अधीन हैं जबकि प्रतिवादी सं0–6 सुरेश राय की मृत्यु दिनांक–27.03.2019 प्रतिवादी सं0–11 सुरेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक–01.05.2019 को हो गयी। जिनके वारिसानों को प्रतिस्थापित

करने हेतु वादी ने दिनांक–02.09.2019 को आवेदन दिया हैं, जो न तो समय सीमा के अधीन है तथा न ही वो शपथ पत्र के माध्यम से दी गयी हैं। फरस्वरूप वादी का आवेदन कानूनी दृष्टिकोण से स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। अतः वादी के आवेदन दिनांक–02.09.2019 को खारिज किया जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस हकियत वाद में प्रतिवादी सं0–4 जमादार राय प्रतिवादी सं0–6 सुरेश राय एवं प्रतिवादी सं0–11 सुरेन्द्र राय थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से दाखिल किया गया हैं। प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित किया गया हैं। प्रतिवादी सं0–4 का प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के भीतर है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–4 के वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दिनांक–02.12.2019 को स्वीकृत किया जाता हैं। परन्तु प्रतिवादी सं0–06 एवं 11 के वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया गया हैं और न ही वादी के द्वारा विलम्ब को माफ करने हेतु एवं उपशमन अपास्त करने हेतु कोई आवेदन दाखिल किया गया हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0–6 एवं 11 के वारिसानों को प्रतिस्थापित किए जाने का आवेदन स्वीकृत किए जाने योग्य हैं। अतः इसे खारिज किया जाता हैं। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर प्रतिवादी सं0–4 के वारिसानों को वादपत्र से प्रतिवादी सं0–4 जमादार राय का नाम काटकर उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक– 03/03/2020 को प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश,
सोनपुर